उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

गुरूवार, 07 आश्विन, शक संवत्, 1933
(दिनांक : 29 सितम्बर, 2011)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)।
2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख", तथा "ग"**)।
3. निधन के निदेश।
4. संसदीय कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 50(5)(क) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पेयजल संशाधन विकास एवं निर्माण निगम की वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2009-10 तक का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे।
5. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
6. (मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी) सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (2009-10) का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
7. (मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी) सभापति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु गठित समिति, का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
8. श्री जोत सिंह गुनसोला, सदस्य, विधान सभा, ''ग्राम सभा नकरोंदा, वार्ड संख्या- 11 जनपद देहरूदन में 250 मीटर सी0सी0 सड़क निर्माण किये जाने संबंधी'' श्री आनन्द सिंह नेगी, निवासी ग्राम नकरौंदा, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
9. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
10. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
11. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

    (शोधन वक्तव्य के लिये देखिये नत्थी **"घ"**)
12. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

13. वित्तीय वर्ष 2011-2012 की प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

(1) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-03 मंत्रि-परिषद के अन्तर्गत **रू0 265600 हजार (छब्बीस करोड़ छप्पन लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(2) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत **रू0 20730 हजार (दो करोड़ सात लाख तीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(3) राजस्व मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत **रू0 456248 हजार (पैंतालीस करोड़ बासठ लाख अड़तालीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(4) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं के अन्तर्गत **रू0 887426 हजार (अठ्ठासी करोड़ चौहत्तर लाख छब्बीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(5) आबकारी मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-08 आबकारी के अन्तर्गत **रू0 1000 हजार (दस लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(6) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत **रू0 541200 हजार (चौवन करोड़ बारह लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(7) शिक्षा मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत **रू0 4841080 हजार (चार सौ चौरासी करोड़ दस लाख अस्सी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(8) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत **रू0 252159 हजार (पच्चीस करोड़ इक्कीस लाख उनसठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(9) पेयजल मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत **रू0 171189 हजार (सत्रह करोड़ ग्यारह लाख नवासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(10) सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत **रू0 173868 हजार (सत्रह करोड़ अड़तीस लाख अड़सठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(11) समाज कल्याण, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत **रू0 1012378 हजार (एक सौ एक करोड़ तेईस लाख अठ्ठत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(12) श्रम मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत **रू0 38402 हजार (तीन करोड़ चौरासी लाख दो हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(13) कृषि मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत **रू0 1364755 हजार (एक सौ छत्तीस करोड़ सैंतालीस लाख पचपन हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(14) सहकारिता मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत **रू0 70789 हजार (सात करोड़ सात लाख नवासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(15) ग्राम्य विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत **रू0 647367 हजार (चौसठ करोड़ तिहत्तर लाख सड़सठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(16) सिंचाई मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत **रू0 1284533 हजार (एक सौ अट्ठाईस करोड़ पैंतालीस लाख तैंतीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(17) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत **रू0 2331272 हजार (दो सौ तैंतीस करोड़ बारह लाख बहत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(18) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-22 लोक निमार्ण कार्य के अन्तर्गत **रू0 398240 हजार (उन्तालीस करोड़ बयासी लाख चालीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(19) उद्योग मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत **रू0 35340 हजार (तीन करोड़ तिरपन लाख चालीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(20) परिवहन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत **रू0 8474 हजार (चौरासी लाख चौहत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(21) खाद्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत **रू0 2000 हजार (बीस लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(22) पर्यटन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत **रू0 60851 हजार (छः करोड़ आठ लाख इक्यावन हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(23) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत **रू0 274665 हजार (सत्ताईस करोड़ छियालीस लाख पैंसठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(24) पशुपालन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत **रू0 66381 हजार (छः करोड़ तिरसठ लाख इक्यासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(25) उद्यान मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत **रू0 135776 हजार (तेरह करोड़ सत्तावन लाख छिहत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(26) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रू0 401455 हजार (चालीस करोड़ चौदह लाख पचपन हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(27) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रू0 164589 हजार (सोलह करोड़ पैंतालीस लाख नवासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए स्वीकार की जाय।

14. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (2011-2012 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

15. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (2011-2012 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करेंगे।

16. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2011-2012 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

17. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2011-2012 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

18. पंचायतीराज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय (एक घण्टा)।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1. श्री तिलक राज बेहड़, 2. श्री प्रीतम सिंह, 3. श्री दिनेश अग्रवाल, 4. श्री गोपाल सिंह राणा, 5. श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल, 6. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 7. श्री राजेश जुवांठा, 8. श्री रणजीत सिंह रावत, 9. श्री बलबीर सिंह नेगी, 10. श्री किशोर उपाध्याय, 11. श्री केदार सिंह रावत, 12. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 13. श्रीमती अमृता रावत, 14. श्री जोत सिंह गुनसोला, 15. श्री मयूख महर,	उत्तराखण्ड पंचायतीराज विधेयक, 2011 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपर्द कर दियाँ जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

19. पंचायतीराज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

20. श्री किशोर उपाध्याय, सदस्य विधान सभा असरकारी विधेयक "उत्तराखण्ड पंचायत राज विधेयक, 2011" को पुरःस्थापित करेंगे।

21. श्री किशोर उपाध्याय, सदस्य विधान सभा प्रस्ताव करेंगे कि असरकारी विधेयक "उत्तराखण्ड पंचायत राज विधेयक, 2011" पर विचार किया जाय।

22. निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :-

श्री जोत सिंह गुनसोला	"यह सदन संस्तुति करता है कि एक प्रमुख पर्यटन एवं तीर्थ स्थल होने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड में पर्यटकों, तीर्थयात्रियों एवं स्थानीय लोगों को परिवहन की नियमित एवं सुरक्षित सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश की परिवहन नीति में तुरन्त आवश्यक संशोधन किये जांय।"

23. श्री हरभजन सिंह चीमा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य की प्रशासनिक इकाईयों का पुनर्गठन किया जाय।"

24. डा0 हरक सिंह रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

> "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के सीमावर्ती जनपद बिजनौर के 61 ग्राम पंचायतों को उत्त्राखण्ड राज्य में शामिल किया जाय।"

25. श्री जोत सिंह गुनसोला, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

> "इस सदन का सुविचारित मत है कि संविधान 74 वां संशोधन की मूल भावना के अनुरूप राज्य में नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों एवं नगर निगम में लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन हेतु इन निकायों में विभिन्न संवैधानिक पदों पर निर्धारित प्रक्रियानुसार पदाधिकारियों के निर्वाचन की व्यवस्था करने हेतु सरकार तत्काल कदम उठाये ताकि विकासात्मक कार्यो को जनाकांक्षाओं के अनुरूप समय पर पूर्ण किया जा सके।"

26. काजी निजामुद्दीन, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

> "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में आम आदमी को मंहगाई की मार से राहत देने हेतु डीजल व पैट्रोल पर वैट को घटाया जाये।"

27. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

28. मनरेगा कर्मियों को एन0जी0ओ0 से अलग कर सरकार द्वारा भुगतान किये जाने के संबंध में श्री यशपाल बेनाम, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 27 सितम्बर, 2011 को दी गई सूचना पर, ग्राम्य विकास मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

29. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र भिक्यासैण में सड़क योजना की स्वीकृति न मिल पाने से विकास योजनायें बाधित होने से व्याप्त असन्तोष के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 सितम्बर, 2011 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य।

30. जन-गण-मन। (दिखिए नत्थी **"ङ"**)

देहरादून :
दिनांक : 29 सितम्बर, 2011

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची
गुरूवार, 07 आश्विन, शक संवत्, 1933
(दिनांक : 29 सितम्बर, 2011)

नत्थी "क"

अल्पसूचित प्रश्न

म गोपाल
2011

** क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि दिनांक 11 सितम्बर, 2011 को विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर (जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत) के ग्राम डौंर में भू–स्खलन से 6 लोगों एवं मवेशियों की मलवे में दबने से मृत्यु हो गयी एवं अभी भी भू–स्खलन जारी है? क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि भू–गर्भवेताओं द्वारा भू–स्खलन से डौंर गांव के और परिवारों को भी खतरे की जद में बताया गया हैं? यदि हां, तो क्या खतरे की जद में आये और परिवारों को अन्यत्र विस्थापित किया जाएगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

आपदा प्रबन्धन

नत्थी "ख"

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 40 (2) के अन्तर्गत द्वितीय सत्र, 2011 के प्रथम गुरूवार हेतु निर्धारित स्थगित तारांकित प्रश्न सं0–01

ोत सिंह गुनसोला *1. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड कृषि नीति को लागू कर दिया गया हैं? यदि हां, तो क्या नीति पारित की गयी हैं? क्या सरकार कृषि को उद्योग का दर्जा देने पर विचार कर रही हैं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **कृषि**

2011

नत्थी ''ग''

तारांकित प्रश्न

जोत सिंह गुनसोला .07.2011 राजेश जुवांठा)8.2011	*1.	विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।	आपदा प्रबन्धन
जोत सिंह गुनसोला)7.2011	*2.	क्या उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकारी व गैर सरकारी कुल कितने उद्यान हैं तथा अलग–अलग किस्म के फलों का कितना–कितना उत्पादन प्रतिवर्ष होता है? क्या इससे होने वाली आय को सरकार बढ़ाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उद्यान पतियों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश में उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी?	उद्यान एवं फलोद्योग
ी अमृता रावत 7.2011	*3.	क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य का पंचायतीराज एक्ट बनाए जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक राज्य का पंचायतीराज एक्ट तैयार किया जायेगा?	पंचायती राज
ी अमृता रावत .2011	*4.	क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि महात्मागांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के रूप में पंचायत भवनों का निर्माण करवाए जाने का प्राविधान है? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत राज्य में निर्मित/निर्माणाधीन अथवा प्रस्तावित राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का जनपदवार विवरण क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में कब तक इस योजना के अन्तर्गत राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के रूप में पंचायत भवनों का निर्माण किया जायेगा?	पंचायती राज
र सिंह गढ़िया 2011	*5.	क्या वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अन्तर्गत उरेडा को निर्माण हेतु आवंटित लघु जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य वेहद धीमी गति से चल रहा है? क्या यह सत्य है कि उक्त परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब के कारण कई क्षेत्रों की जनता विद्युत की सुविधा से वंचित हैं? यदि हां, तो सभी विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कब तक पूर्ण किया जायेगा?	वैकल्पिक ऊर्जा

ा अमृता रावत
.07.2011

अतारांकित प्रश्न

श्रीमती अमृता रावत
04.07.2011

1. विधान सभा के प्रथम सत्र, 2011 के प्रथम सोमवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 35 के सन्दर्भ में क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्रांक 942/13 सी0आर0ए0 (09–10) दिनांक 25 मार्च, 2010 के अनुपालन में अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है तथा खण्ड विकास अधिकारी बीरोंखाल द्वारा आगणन उपलब्ध न किये जाने के प्रति क्या कार्यवाही की गई है और राजकीय क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की आपदा राहत निधि के अन्तर्गत कब तक मरम्मत की जायेगी?

आपदा प्रबन्धन

श्रीमती अमृता रावत
04.07.2011

2. विधान सभा के प्रथम सत्र, 2011 के प्रथम सोमवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 33 के सन्दर्भ में क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों/गांवों के पुनर्वास हेतु अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है तथा कब तक प्रभावित परिवारों/गांवों का पुनर्वास किया जायेगा?

आपदा प्रबन्धन

श्री प्रेमानन्द महाजन
06.07.2011

3. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि प्रतिवर्ष भारी वर्षा के कारण हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल जिलों में छोटे–छोटे नदी नालों द्वारा कृषि भूमि का कटाव होता है? यदि हां, तो सरकार इसे रोकने के लिये क्या नीति बना रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि

श्रीमती अमृता रावत
06.07.2011

4. विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के प्रथम गुरूवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 04 के सन्दर्भ में क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि तत्कालीन उपनिदेशक पशुपालन विभाग गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के द्वारा नियमों के विपरीत दिए गए आश्वासन के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा भूमि दान देने वाले परिवार को नियम विरूद्ध आश्वासन देकर गुमराह कर निशुल्क भूमि अर्जित किए जाने के प्रति उत्तरदाई अधिकारी के प्रति क्या कार्यवाही की गई है तथा इस भूमि का दाखिल खारिज विभाग के नाम कब किया गया है?

पशुपालन

श्री जोत सिंह गुनसोला
07.07.2011

5. क्या वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगरीय क्षेत्रों व विद्युतीकृत गांवों में रहने वाले नागरिकों को वैकल्पिक ऊर्जा की सुविधा सब्सिडी के साथ प्रदान किये जाने पर सरकार विचार करेगी? क्या शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों कौ विद्युत लाईन आपूर्ति के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा की इस्तेमाल की अनुमति प्रदान किये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

वैकल्पिक ऊर्जा

ा अमृता रावत .07.2011	**6.** क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों की विकास खण्डवार संख्या क्या है तथा कब तक पंचायत भवन रहित ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों का निर्माण किया जायेगा?	**पंचायती राज**
ी जोत सिंह गुनसोला 1.07.2011	**7.** क्या दैवीय आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने किन–किन आपदाओं को आपदा प्रबन्धन योजना में सम्मिलित किया है, जिनके लिए विभाग क्षतिपूर्ति/मुआवजा प्रदान करता है? क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ या पेड़ पर चढ़कर ईंधन व पशुओं हेतु चारा प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने पर, दुर्घटना से प्रभावित को आपदा प्रबन्धन राहत योजना में सम्मिलित करने जा रही है? यदि हां, तो कितनी धनराशि इस हेतु मुआवजे के रूप में दिये जाने का प्रविधान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रदेश की विषम भौगौलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत इस हेतु कोई व्यवस्था करेगी?	**दैवीय आपदा प्रबन्धन**
ती अमृता रावत)7.2011	**8.** क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में ग्राम पंचायत अधिकारियों के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का जनपदवार विवरण क्या है तथा रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की दिशा में किए गए प्रयासों और उनके परिणामों का विवरण क्या है तथा कब तक रिक्त पदों पर ग्राम पंचायत अधिकारियों की तैनाती की जायेगी?	**पंचायती राज**
ी अमृता रावत .2011	**9.** क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2007–08 से अब तक विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के विकास खण्ड बीरोंखाल, पोखड़ा तथा एकेश्वर के किन–किन स्थानों/ग्राम सभाओं में पशु चिकित्सालयों/पशुधन प्रसार केन्द्रों की कब–कब स्थापना की गई है तथा किन–किन पशुचिकित्सालयों एवं पशुधन प्रसार केन्द्रों के भवनों का निर्माण करवाया गया है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि किन–किन पशु चिकित्सालयों तथा पशुधन प्रसार केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु भूमि अर्जित की गई है और शेष के लिए कब तक भूमि अर्जित की जायेगी?	**पशुपालन**
त सिंह गुनसोला .011	**10.** क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा प्रदेश में चारा बैंकों की स्थापना कहां–कहां पर की गयी है तथा अब तक कितनी महिलाओं को इसके अन्तर्गत चारा ढोने में राहत प्रदान की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?	**पशुपालन**
सिंह गुनसोला ११	**11.** क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्राकृतिक विपत्तियों के कारण आपदा राहत निधि से वर्ष 2010–11 में कुल कितनी राहत निधि बांटी गयी है तथा प्रत्येक जिले की जिलेवार लाभार्थियों की सूची क्या हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि किन–किन मदों में राहत निधि से राहत प्रदान की गई है तथा कितनी–कितनी राहत उक्त मदों में दी गई है तथा कितने लोग राहत मिलने से वंचित रह गये है?	**आपदा प्रबन्धन**

श्रीमती अमृता रावत
29.07.2011

12. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के मुख्यालय पौड़ी में स्थापित आपदा नियंत्रण कक्ष में वर्ष 2009–10 से अब तक दर्ज करायी गई शिकायतों/निस्तारित की गयी समस्याओं का विभागावार विवरण क्या है तथा अवशेष शिकायतों का निवारण कब तक किया जायेगा?

आपदा

श्रीमती अमृता रावत
01.08.2011

13. विधान सभा के तृतीय सत्र, 2008 के प्रथम गुरूवार को उत्तरित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 29 के सन्दर्भ में क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत पशुचिकित्सालय कोलदरिया एवं पशु सेवा केन्द्र बैजरो, दुनाव, मैठाणाघाट, भरोलीखाल, दांथा, देवराजखाल भवन निर्माण हेतु भूमि अर्जित करने हेतु विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामों का विवरण क्या है तथा जीर्ण–शीर्ण पशु चिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु तब से अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है?

पशुपालन

श्री गगन सिंह रजवार
05.08.2011

14. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र धारचूला में ग्राम खुमती के तौक कटौजियॉ व ग्राम सभा जिप्ती के तौक गर्बा, ग्राम क्यीरीजिमियॉ, सेविला एवं वर्त्थी में विगत वर्ष हुए भू–स्खलन से वहां के निवासियों के आवासीय भवन व कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हो गई है? क्या भू–स्खलन से प्रभावित गांवो के प्रस्तावित विस्थापन की सूची में उपरोक्त स्थान के निवासियों को सम्मिलित किया गया है? यदि हां, तो किन–किन प्रभावितों को सम्मिलित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों तथा उपरोक्त ग्रामीणों को कब तक विस्थापित किया जायेगा?

आपदा प्रबन्ध

श्री केदार सिंह रावत
05.08.2011

15. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत चयनित गांव कितने हैं तथा उनकों क्या सुविधा व अनुदान दिया जा रहा है एवं चयन का आधार क्या हैं? क्या सरकार द्वारा लखौसी गांव विशेष को स्वैच्छिक चकबन्दी की मांग किये जाने पर अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो वर्षो पूर्व स्वैच्छिक चकबन्दी करने वाले बीफ गांव वासियों को भी समान रूप से अनुदान दिये जाने की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि

श्री गगन सिंह रजवार
09.08.2011

16. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में विगत वर्ष 2010 में दैवीय आपदा के कारण कितने आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हुए है? क्या विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त आवासों के स्वामियों को क्षतिपूर्ति कर आवासों का पुनर्निर्माण कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

आपदा प्रबन्ध

...गन सिंह रजवार ...0.08.2011	**17.** क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला, मुनस्यारी में कुल कितने गांव है, जो विगत वर्ष भू-स्खलन से प्रभावित होने के कारण पूर्ण रूप से एवं आंशिक रूप से विस्थापित किये जाने है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विस्थापन के लिए क्या नीति बनाई गई है? क्या सरकार प्रभावित परिवारों को विस्थापित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन
श्री गगन सिंह रजवार 16.08.2011	**18.** क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 2009-10 तथा वर्ष 2010-11 में आपदा प्रबन्धन से स्वीकृत योजनाओं एवं उनके निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त योजनाओं की स्वीकृति का आधार क्या है और यह योजनाएं किस-किस की संस्तुति पर स्वीकृत की गई है?	आपदा प्रबन्धन
...ी गगन सिंह रज़वार ...6.08.2011	**19.** क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला मुनस्यारी दैवीय आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशीन क्षेत्र है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र को दैवीय आपदा मद के अतिरिक्त धनराशि आवंटन करने की कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन
... शैलेन्द्र सिंह रावत ...08.2011	**20.** क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मा0 मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा संख्या 14/2008 दिनांक 20.01.2008 के अन्तर्गत कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन संस्थान की स्थापना जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार नामक स्थान में की गयी थी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
...राजेश जुवांठा ...8.2011	**21.** क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत सरकार द्वारा दुचाणू से टिकोची व थुनारा से काष्टा रज्जू (रोपवे) मार्ग स्वीकृत किए गये थे? क्या यह सत्य है कि उक्त निर्माण कार्य आज तक पूर्ण नहीं किये गये है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रज्जू मार्गों का निर्माण पूर्ण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान
...र सिंह गढ़िया ...2011	**22.** क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2011 में प्रदेश के अन्तर्गत दैवीय आपदा से अब तक कुल कितनी जन हानि हुई तथा कितनी सरकारी/व्यक्तिगत परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हुई? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि आपदा से क्षतिग्रस्त विभिन्न परिसम्पत्तियों के पुर्ननिर्माण तथा सड़कों की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या प्रभावित परिवारों को मुआवजा/आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन

नत्थी "घ"

श्रीमती अमृता रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा उत्तराखण्ड विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या 162 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना दिनांक 20 अगस्त, 2009 के संबंध में "शोधन वक्तव्य"।

विधान सभा के तृतीय सत्र 2008 के प्रथम गुरूवार दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 20 तथा द्वितीय सत्र 2009 के प्रथम गुरूवार दिनांक 16 जुलाई, 2009 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 17

प्रश्न सं0	अतारांकित/तारांकित प्रश्न	तत्समय प्रदत्त उत्तर	संशोधित उत्तर/ शोधन वक्तव्य
प्रश्न सं0-20	अतारंकित प्रश्न- क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल, बहेड़ाखाल में पशुचिकित्सालय की स्थापना के संबंध में मुख्या पशुचिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक 994/पशुधन-प0चि0/प्रस्ताव/2007-08 दिनांक 10.08.07 के परिप्रेक्ष में क्षेत्र पंचायत कोट (गढ़वाल) के पूर्व प्रमुख का पत्रांक बहेड़ाखाल/5-पशुपालन/2007-08 दिनांक 30.08.2007 विभाग में कब प्राप्त हुआ तथा पत्र में वर्णित तथ्यों पर अब तक की गई कार्यवाही और प्रगति का विवरण क्या है।	जी हां। दिनांक 12 सितम्बर 2007 को प्राप्त हुआ। मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पौड़ी के स्तर से बहेड़ाखाल एवं पशु चिकित्सालय बडूड (धुसगली) के अन्तर्गत पड़ने वाले गावों एवं पशुधन की संख्या की गणना कराई गई। बडूड पशुचिकित्सालय के 05 कि0मी0 के अन्तर्गत कुल गांवों की संख्या 21 व पशुगणना 4002 है जबकि जबकि बहेड़ाखाल के अन्तर्गत 5 कि0मी की परिधि में 10 गांव व पशुधन संख्या 1669 है। उक्त परिस्थिति में बहेड़ाखाल में नया पशुचिकित्सालय नहीं खोला जा सकता है।	जी हां। बहेड़ाखाल के समीप 05 कि0मी0 के स्थान पर पूर्व में 08 कि0मी0 के परिधि के गांवो की पशुधन संख्या 3088 गणना कर अंकित की गई है। जिसके कारण पशुधन संख्या में व्यापक अन्तर आया। उक्त सूचना के लिए गणना करने वाले सम्बन्धित पशुधन प्रसार अधिकारीगण उत्तरदायी है। उक्त गणना अगस्त, 2007 तथा जनवरी, 2009 में मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पौड़ी द्वारा संबंधित पशुधन प्रसार अधिकारीगण से कराई गई। वर्तमान में संबंधित क्षेत्र के अन्वेषक कम संगणक संख्या सहायक एवं क्षेत्रीय निरीक्षक से दिनांक 19.11.2009 से 26.112009 के मध्य करायी गयी पशुधन गणना के अनुसार बहेड़ाखाल से 05 कि0मी0 पैदल परिधि के अन्तर्गत पड़ने वाले राजस्व ग्रामों की संख्या 17 तथा पशुधन संख्या 1957 है।

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">गांवों के नाम व पशुधन संख्या निम्नवतः है:-</td></tr>
<tr><td rowspan="20">प्रश्न सं0-17</td><td rowspan="20">अतारांकित प्रश्न-
विधान सभा के तृतीय सत्र 2008 के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या-20 के उत्तर के संदर्भ में क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान बहेड़ाखाल के अन्तर्गत पांच कि0मी0 की परिधि में क्षेत्र पंचायत कोट (गढ़वाल) के पूर्व प्रमुख के पत्रांक बहेड़ाखाल/5-पशुपालन 2007-08 दिनांक 20.08.2007 में वर्णित 51 गांवों की पशुगणना के अनुसार पालतू पशुओं की संख्या क्या है तथा पशुचिकित्सालय की स्थापना हेतु निर्धारित मानक क्या है।</td><td rowspan="20">क्षेत्र पंचायत कोट (गढ़वाल) के पूर्व प्रमुख के पत्रांक बहेड़ाखाल/5- पशुपालन 07-08 दिनांक 20.08.2007 में वर्णित 51गांवों में बहेड़ाखाल के समीप 5 कि0मी0 की परिधि में पड़ने वाले कुल 6 ग्राम सभाओं का सर्वे कराया गया। जिसमें कुल पशुधन संख्या-3088, पक्षियों की संख्या-365 है। पशुचिकित्सालय की स्थापना हेतु एक पशुचिकित्सालय से दूसरे पशुचिकित्सालय की दूरी 08 कि0मी0 एवं पशुधन सं0 10000 होनी आवश्यक है।</td><td>गांव का नाम</td><td>पशुधन सं0</td></tr>
<tr><td>01. बहेड़ा</td><td>70</td></tr>
<tr><td>02. बहेड़खाल बाजार</td><td>70</td></tr>
<tr><td>03. रिगुंड</td><td>124</td></tr>
<tr><td>04. चौपड़ी</td><td>79</td></tr>
<tr><td>05. मुलगढ़</td><td>14</td></tr>
<tr><td>06. खाण्डा</td><td>105</td></tr>
<tr><td>07. पैडुल</td><td>87</td></tr>
<tr><td>08. नवाड़ी</td><td>58</td></tr>
<tr><td>09. जग्सारी</td><td>139</td></tr>
<tr><td>10. भण्डालू</td><td>151</td></tr>
<tr><td>11. कोटा</td><td>07</td></tr>
<tr><td>12. कुनकुनी</td><td>138</td></tr>
<tr><td>13. भटकोटी</td><td>202</td></tr>
<tr><td>14. जखनौली</td><td>106</td></tr>
<tr><td>15. द्यूसा</td><td>374</td></tr>
<tr><td>16. महादेवसैण</td><td>56</td></tr>
<tr><td>17. ग्वाड़ी</td><td>177</td></tr>
<tr><td>कुल योग</td><td>1957</td></tr>
<tr><td colspan="2">उपरोक्त राजस्व गामों यथा जखनौली पैडुल के चौण्डली, कुण्ड, डंगलधार तोक एवं मजरे होने के कारण उनकी पशुगणना उक्त राजस्व ग्रामों में सम्मिलित है।</td></tr>
</table>

उक्त त्रुटिपूर्ण सूचना के लिए उत्तरदायी डा0डी0सी0एस0रावत, तत्कालीन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पौड़ी को तत्कालीन विभागाध्यक्ष के पत्र संख्या/ 469/स्था0एक0/वि0स0प्र0 दिनांक 18 दिसम्बर, 2009 द्वारा कठोर चेतावनी जारी करते हुए भविष्य के लिए सचेत कर दिया गया है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
कृषि मंत्री।

उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी "ङ"

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।

भारत-भाग्य-विधाता।।

पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा

द्राविड़-उत्कल-बंग।

विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,

उच्छल-जलधि-तरंग।।

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष मांगे।।

गाहे तव जय गाथा।।

जन-गण-मंगलदायक जय हे,

भारत-भाग्य-विधाता।।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय, जय हे।।